


राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

क्रमांक: एफ. 20(7)(4)/बा.अ.वि./कि.न्या.अ./प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट नियुक्ति/2016 / 57/58 / 20/198, कावेरी पथ, सैक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर। जयपुर दिनांक: 3/02/2017

अधिसूचना

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधि से संघर्षरत किशोर / किशोरियों के प्रकरणों में अधिनियम व संगत नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गठित किशोर न्याय बोर्ड में प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत/मनोनीत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर, बालोतरा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर महानगर, करौली, मेडता सिटी, पाली, सवाई माधोपुर द्वारा पूर्णकालिक रूप से सभी कार्य दिवसों पर किशोर न्याय बोर्ड की बैठकें आयोजित कर अधिनियम एवं संगत नियम में बोर्ड के निर्धारित कार्यों का सम्पादन किया जाएगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. Gen./II/05/2016/ 182

Dated : 10/02/2017

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

1. All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench, Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Chief Judicial Magistrates.
4. Concerned Juvenile Justice Boards.
5. Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget and computer cell with a direction to upload the same on high court website, Rajasthan High Court, Jodhpur.


10/02/17
REGISTRAR (RULES)